

२४७  
२५

पत्रावली पेश। प्राथी व वकील प्राथी  
को बार-बार आवाज लगाई गई।  
बार-बार आवाज लगाने के पश्चात  
भी प्राथी व वकील प्राथी न्यायालय  
में हाजिर नहीं आये। अतः प्राथी  
का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212  
RTI अधिनियम हाजरी अधिनियम पेश  
में खारिज किया जाता है पत्रावली  
फैसल्य शुमार होकर नम्बर से  
कम होकर वाखिल पत्र हो।

*Signature*

उपखण्ड अधिकारी  
द्वारा रा. म. ग. द.